

पत्रांक-18/लो0सं0-15-10/2023, सा.प्र. 8975/

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

अपर मुख्य सचिव,  
सामान्य प्रशासन विभाग,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव, बिहार।  
पुलिस महानिदेशक, बिहार।  
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/आरक्षी महानिरीक्षक/आरक्षी उप महानिरीक्षक, बिहार।  
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।  
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बिहार।

पटना-15, दिनांक 20-5-26

विषय:- सहयोग पोर्टल के माध्यम से शिकायतों/आवेदनों के अग्रसारण, निष्पादन एवं उसकी अनुश्रवण हेतु मानक कार्य प्रणाली (SOP) में संशोधन के संबंध में।

प्रसंग:- सामान्य प्रशासन विभाग का पत्रांक-8719 दिनांक-16.05.2026।

महाशय,

उपर्युक्त प्रसांगिक पत्र द्वारा सहयोग शिविर पोर्टल के माध्यम से शिकायतों/आवेदनों का अग्रसारण, निष्पादन एवं अनुश्रवण हेतु मानक कार्य प्रणाली निर्गत की गयी थी। SOP की कंडिका-10 में निम्न अंश जोड़ा जाता है:-

यदि आवेदन किसी कारण से 25 दिनों से अधिक लंबित रहता है तो वैसी स्थिति में तृतीय कारण पृच्छा पोर्टल पर ही जिम्मेदार पदाधिकारी को प्राप्त होगा, जिसका स्पष्टीकरण संबंधित पदाधिकारी को उसी पोर्टल पर समर्पित करना होगा।

2. मानक कार्य प्रणाली (SOP) की शेष कंडिका यथावत रहेगी।

विश्वासभाजन  
(डॉ. बी. अजन्दीर)  
अपर मुख्य सचिव।